

Dated: 20-02-2006

To Whom It May Concern

This is to certify that the land described as below is free
From all encumbrances i.e. the land mentioned below has not been
mortgaged anywhere.

DETAIL OF LAND

Land measuring 45 K-12 M, detailed as under: -

1. Land measuring 42 K-4 M comprised in Khewat No.26, Khatoni No.40, Rect. No.16, Khasra No.18 (8-0), 19 (8-0), 20 (6-16), 21 (6-16), 22/1 (4-12), 23 (8-0), Kittas 6.
2. Land measuring 3 K-8 M comprised in Khewat No.53, Khatoni No.90, Rect. No.16, Khasra No.22/2 (3-8).

All the above said land situated at village Rattan Dera, Tehsil Thanesar, District Kurukshetra vide jamabandi for the year 2003-04

Sub Registrar

$$I \overline{S_4} = 40 \text{ m} < n$$

∴ $\overline{\text{trans}} = 36 \times 40 \sqrt{10}$

Handwritten notes and calculations:

Left side: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

Top: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

Bottom: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

Right side: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

Center calculations:

34	40	40
36	$\frac{16}{19}$	36
20		18
36	$\frac{22}{1}$	23
21	$\frac{22}{2}$	36
34	23	40

Bottom center: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

412107

ਜੀ ਮਾਤੀ
ਮਾਮੁ ਤ ਮਾਤੀ ਮਾਤੀ

उत्तर :- $\frac{1}{2}$ और $\frac{1}{3}$ का योग

UN87

James. Lee

16 | 9 | 2005

Stamp of Patwari/DRO

1679 18/12/01 40007-
 15/6/25 विनायक नारायण पावल क कुल सोसायटी
 सुविधा. स. व. म. ... पुन चन्द शंकर चन्द ।

५६।ना।म।
मूल पन्दे
लगा पन्दे
धानेसर

2012-13

मूल पद S/O देव पद द्वारा
देव पद मन्त्रेरित पदिकाद्वारा
द्वितीय पद

नलीब सिंह जम्मूदार
जम्मूदार काठमांडू

— *Cl*

५२११११
२०००००

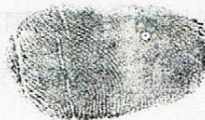
कृष्णाय नमः

241:8
margil

271: 5

Ans!

[Handwritten signature]



5116

464 + 3

1000Rs.



पट्टानामा 12,000/- रुपये सालाना वास्ते 33साल

अस्टाम 4,000/- रुपये किते-4 शब्द 400

हम कि मूल चन्द पुत्र श्री टेक चन्द पुत्र श्री भगत राम निवासी इन्दिरा कालौनी
वार्ड नंबर-8, धानेसर तहसील धानेसर प्रथम पक्ष मालिक भूमि तथा से टेक चन्द
मैमोरियल पब्लिक स्कूल सौसायटी कुरुक्षेत्र द्वारा मूल चन्द पुत्र श्री टेक चन्द पुत्र
श्री भगत राम प्रधान निवासी इन्दिरा कालौनी वार्ड नंबर-8, धानेसर तहसील
धानेसर द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि के हैं।

जोकि वाका रक्षा ग्राम रतनदेरा तहसील धानेसर
जिला कुरुक्षेत्र भूमि 48 कनाल बक्कर 960/3483 भाग, मिमजुमला भूमि 174 कनाल
3 मरले, छोटा नंबर-47, छातौनी नंबर-84, मुरब्बा नं0-7, किला नं0-158-0
178-0, 23/24-0, 248-0, 257-12, मुरब्बा नं0-15, किला नंबर-
45-13, 57-4, 8/11-15, 8/26-4, 98-0, 106-15, 17
8-0, 22/23-8, 248-0, मुरब्बा नं0-17, किला नं0-17-12, 2/1
7-0, 107-12, 117-12, 128-0, 185-14, 198-0,
207-12, 217-12, 226-0, 235-15, किला-25, मुताबिक जमाबंदी
साल 1998-99, मलकियत प्रथम पक्ष की है, जिसका प्रथम पक्ष पूर्ण मालिक तथा
स्वामी बिना किसी भागीदार के हैं। और उपरिलिखित भूमि इस समय प्रत्येक
जारी पेज 2पर..

मूल चंद प्रथम पक्ष मालिक भूमि

से टेकचन्द मैमोरियल पब्लिक स्कूल
सौसायटी कुरुक्षेत्र द्वारा मूल चन्द प्रधान
द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि।





-2-

प्रकार के भार से मुक्त है। अतः अतः प्रथम पक्ष ने अपनी उपरिलिखित भूमि 48 कनाल सीहत अधिकार रास्ता आने जाने वा अधिकार हर किस्म बदले 12,000/- रुपये हजारह हजार रुपये आधे जिनके 6,000/- रुपये होते है, सालाना पर तैतीस साल के लिये दिनांक 18-12-2001 से 17-12-2034 तक द्वितीय पक्ष को एजुकेशन के लिये पट्टा पर दे दी है, और द्वितीय पक्ष ने उपरिलिखित भूमि प्रथम पक्ष से तैतीस साल के लिये पट्टा पर ले ली है। अतः इकरार यह है कि द्वितीय पक्ष उपरिलिखित भूमि का पट्टाधान प्रति वर्ष प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा। जो पट्टाधान द्वितीय पक्ष उठा करेगा, उसकी रसीद प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लेगा। द्वितीय पक्ष का जुतानी दिया गया पट्टा-धान प्रमाणित नहीं होगा। प्रथम पक्ष ने उपरिलिखित भूमि 48 कनाल का कब्जा आज से मौका पर द्वितीय पक्ष को दे दिया है। अतः द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह मिथाद पट्टा के दौरान उपरोक्त भूमि में अपनी लागत से रीजिलिंग तामीर करे, उसमें लच्चों की एजुकेशन के लिये प्रयोग करे, किसी दूसरे को किराया पर देवे, या अपने हकूक पट्टेदारी आगे किसी दूसरे के पास मुस्तकल करे, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति ना होगी। द्वितीय पक्ष बाद समाप्त मिथाद पट्टा 33 साल उपरिलिखित भूमि को खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष के हवाले कर देगा या प्रथम पक्ष की रजामंदी से पट्टाधान में कमी पेशगी



मूल चंद प्रथम पक्ष
मालिक भूमि।

बारी पेज उपर
टेक चन्द मैमोरियल पीबल स्कूल
सोसायटी कुरुक्षेत्र द्वारा मूल चंद प्रधान
द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि



-3-

करके नया पट्टानामा तहरीर करवा देगा। यदि द्वितीय पक्ष सम्म पर पट्टानाधान अदा ना करेगा और मिवाद पट्टा समाप्त होने के पश्चात भूमि को खाली करके कब्जा प्रथम पक्ष के हवाले ना करेगा तो उस सूरत में प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह अदालत द्वारा तमाम पट्टानाधान जो भी बकाया हो सीहत हर्जा खर्चा मुकदमा द्वितीय पक्ष की जात खास व जायदाद हर किस्म से वसूल कर ले, और भूमि से बेदखल करवाकर कब्जा ले लेवे, इसमें द्वितीय पक्ष को कोई अप्पत्ति ना होगी। प्रथम पक्ष उपरिलिखित भूमि का इन्तकाल पट्टा द्वितीय पक्ष के नाम करवा देगा, या द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की गैर हाजरी में करा लेवे।

अतः यह पट्टानामा हम दोनों पक्षों ने अपनी छुशा व रजामंदी से अपने ठीक होंशो हवास में सुनकर व सम्झकर बिना किसी दबाव अथवा प्रभाव के लिखा दिया है कि सम्म पर काम आवे।

लिखित 18-12-2001। लेखक: सुरेन्द्र सिंगल, वसीका नवीस थानेसर रजि० नं०-520 इति।



मूल चंद प्रथम पक्ष

मालिक भूमि।

टेक चन्द मैमोरियल पब्लिक स्कूल
सौसायटी कुरुपेन द्वारा प्रधान
मूल चन्द पट्टेदार भूमि।

साक्षी:- चमेली राम नम्बरदार,
थानेसर।

साक्षी:- नसीब सिंह नम्बरदार,
निवासी आलमपुर।



1000Rs.



-4-

1000/- रुपये का कोरा अस्टाम इस पट्टानामा के साथ संलग्न है ।

मूल चंद प्रथम पक्ष

मालिक भूमि ।

टेक चंद मैमोरियल पब्लिक स्कूल सोसायटी

कुर्क्षेत्र द्वारा मूल चंद प्रधान पट्टेदार

भूमि द्वितीय पक्ष ।